Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमा शुल्क का प्रभाव

लखन लाल कलेशरिया*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्राचीन काल में विदेश जाकर व्यापार करने वाले व्यापारी विक्रय योग माल को साथ लेकर व्यापार करने जाते थे। यह व्यापारी जिस राज्य या देश में व्यापार करने जाते थे वहां पहुंचकर वहां के राजा को बहुमूल्य उपहार या नजराना देकर उनसे व्यापार करने अर्थात अपने साथ लाए माल का विक्रय करने एवं स्थानीय बाजार से अन्य माल क्रय करने की अनुमति प्राप्त करते थे। स्थानीय राजा को उपहार देने की यही प्रथा कस्टम(Custom) कालांतर में कर कर में परिवर्तित हो गई तथा वर्तमान में कस्टम ड्यूटी के नाम से जानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से सीमा शुल्क विश्व में सबसे प्राचीन कर है। कर के प्रमाण वैदिक युग में मिलते हैं वर्तमान में विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। प्रारंभ में शुल्क विदेश से आकर व्यापार करने वाले व्यापारी के लाभ पर लगाया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह शुल्क माल की मात्रा या मल के मूल्य पर लगाया जाता है वर्तमान में विदेश से आयात किए जाने वाले माल पर आयात शुल्क तथा भारत में बाहर निर्यात किए जाने वाले माल पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है। आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क को संयुक्त रूप से सीमा शुल्क कहा जाता है।सीमा शुल्क करों का भर आया तथा निर्यात होने वाली वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति की लोच के आधार पर उत्पादक एवं उपभोक्ता पर पड़ता है यदि वस्तु की मांग बेरोजगार है। तो सीमा कर का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा यदि वस्तु की मांग रोजगार है। तो सीमा कर का भार उत्पादक वर्ग पर पड़ता है। इस प्रकार पूर्ति रोजगार होने पर सीमा शुल्क के भर उपभोक्ता पर तथा बेरोजगार पूर्ति में भर उत्पादों को स्वयं सहन करना पड़ता है। सीमा शुल्क से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। कालांतर में भारत ने अपने आयात कम किए हैं और अपने निर्यातों को बढ़ावा दिया है जिससे भारत की राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भंडार बढ़ता जा रहा है। हम इस शोधा के माधयम से यह जानना चाहेंगे की सीमा शुल्क से भारत के अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है और यहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में क्या असर पड़ा है।

प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार– 'सीमा शुल्क इतिहास में अति प्राचीन के रूप में से एक है जो उसे समय व्यापारियों के लाभ पर एक करके रूप में लगाए जाते थे परंतु आजकल यह कर लाभ पर न लगाकर उत्पादन बिक्री करो की भांति वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाए जाते हैं।'

भारत में सीमा शुल्क का ऐतिहासिक विकास – सीमा शुल्क का परिचय भारत में वैदिक युग से राज्यों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर लगने का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र कौटिल्य ने भी इस प्रकार के करारोपण का उल्लेख किया है मुगल काल में कई विदेशी व्यापारी भारत में आए और उन्होंने बादशाहों को बहुमूल्य उपहार देकर भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की सीमा शुल्क ड्यूटी के वर्तमान स्वरूप का प्रादुर्भाव ब्रिटिश शासन के समय से माना जाता है। जो निम्न अनुसार है।

1. **बोर्ड ऑफ़ रेवेनुए का गठन–** सन 1786 में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा सीमा शुल्क की वसूली के लिए कोलकाता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया।
2. **टैरिफ एक्ट–** 1859में संपूर्ण भारत में एक जैसा टैरिफ एक्ट लागू किया गया आयत शुल्क की सामान्य दर 10% थी जो 1864 में घटकर 7–5%कर दी गई ब्रिटिश शासन के प्रारंभ में मुंबई बंगाल एवं मद्रास की रेजिडेंसी थी इन तीनों की सीमा शुल्क की दरों में अंतर था इस अंतर को समाप्त करने एवं एकरूपता लाने के लिए 1859 में टैरिफ एक्ट लागू किया गया।
3. **कस्टम एक्ट1962–** स्वतंत्रता के बाद उद्योगों का तेजी से विकास हुआ एवं व्यापार का विस्तार हुआ 1962 में कस्टम एक्ट 1962 पारित हुआ जिसमें तत्कालीन लैंड कस्टम एक्ट सी कस्टम एक्ट एवं एयर कस्टम एक्ट का समावेश कर एकरूपता लाई गई।
4. **नया कस्टम एक टैरिफ** 1985 में इंडियन टैरिफ एक्ट 1934 को समाप्त कर नया कस्टम टैरिफ एक्ट 1985बनाया गया।

वर्तमान समय में अनेक प्रकार की वस्तुओं पर सरकार द्वारा आयात तथा निर्यात कर लगाया जाता है सीमा शुल्क या तो मूल्य अनुसार लगाए जाते हैं या परिणाम अनुसार जब भी मूल्य अनुसार लगाए जाते हैं तो इसे तथा मूल्य कहते हैं और जब परिणाम अनुसार लगते हैं तो इसे परिमाणिक कहते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. भारत में सीमा शुल्क की भूमिका का अध्ययन करना।
2. घरेलू उद्योगों पर सीमा शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. आयात–निर्यात और व्यापार संतुलन पर इसके प्रभाव को समझना।
4. उपभोक्ताओं और सरकारी राजस्व पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना।

अनुसंधन पद्धति– यह शोध–पत्र द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data) पर आधारित है।

डेटा के स्रोत:

1. भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण
2. आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट

3. वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट्स
4. पुस्तकों, जर्नल्स एवं शोध-पत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी

भारत में सीमा शुल्क की संरचना – भारत में प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के सीमा शुल्क लगाए जाते हैं:

मूल सीमा शुल्क ड्यूटी (Basic Customs Duty – BCD)– मूल सीमा शुल्क एक विशिष्ट दर पर माल के मूल्य पर लगाया गया सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क विज्ञापन-मूल्य के आधार पर निर्दिष्ट दर पर तय किया जाता है। यह सीमा शुल्क 1962से लगाया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है और आज 1975के सीमा शुल्क अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार को कर से किसी भी सामान को मुक्त करने का अधिकार है। यह कर वस्तु के आकलित मूल्य (Assessable Value) पर लगाया जाता है। इस कर का उद्देश्य सरकारी राजस्व प्राप्त करना एवं घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना होता है।

सामाजिक कल्याण अधिभार (Social welfare surcharge)– 2फरवरी 2018 से आयातित माल पर देय मूल सीमा शुल्क कि ज्ञात राशि पर 10% की दर से सामाजिक कल्याण अधिभार जोड़ा जाता है इसके पूर्व 4% के दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगता था अब सामाजिक कल्याण अधिभार लगता है।

एकीकृत जीएसटी (IGST)– जीएसटी लागू होने के पूर्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं वेट की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सीमा शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क भी देय था लेकिन जीएसटी के बाद अब आयात किए गए माल पर उस पर प्रभावी जीएसटी की दर से एकीकृत जीएसटी देय होगा यह माल के करयोग्य मूल्य एवं सामाजिक कल्याण अधिभार सहित मूल सीमा शुल्क के योग पर प्रभावशील जीएसटी कि दर से लगेगा।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकार (GST Compensation cess)– भारत में जिन वस्तुओं पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकार लगता है उनके आयात पर भी क्षतिपूर्ति उपकार लगेगा जैसे – भारत में पान मसाला तंबाकू निर्मित पदार्थ मोटर कारो आदि पर क्षतिपूर्ति पर लगता है तो ऐसा आयातित मालों पर भी यह कर लगेगा इस कर का उद्देश्य राज्यों को जीएसटी से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई एवं गैर-आवश्यक वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करना।

एंटी डंपिंग ड्यूटी – अक्सर, विदेश से बड़े निर्माता घरेलू बाजार में कीमतों की तुलना में बहुत कम कीमत पर सामान निर्यात कर सकते हैं। इस तरह के डंपिंग घरेलू उद्योग को अपनाने या अपने अतिरिक्त स्टॉक का निपटान करने के इरादे से हो सकती हैं। इसे डंपिंग कहा जाता है। इस तरह के डंपिंग से बचने के लिए, केंद्र सरकार इस तरह के लेखों पर डंपिंग के मार्जिन तक एंटी-डंपिंग ड्यूटी के रूप में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा(9) ए के तहत लागू कर सकती है, अगर माल अपने सामान्य मूल्य से कम पर बेचा जा रहा है। डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुसार इस तरह के एंटी डंपिंग ड्यूटी की लेवी को अनुमति है। एंटी डंपिंग कार्रवाई तब की जा सकती है जब एक भारतीय उद्योग लेखों की तरह उत्पादन करता है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कर्तव्य – यह कर्तव्य वित्त अधिनियम के सेक्शन 12 (9) है। द्वारा लगाया गया है। कर्तव्य तंबाकू, पैन मसाला या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसी भी सामान जैसे सामानों पर लगाया जाता है। कर की दर10% से 45% तक भिन्न होती है और विभिन्न कारणों से अलग-अलग दरें लागू होती हैं।

सुरक्षा ड्यूटी – यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के घरेलू उद्योगों के लिए कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे स्थानीय घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा शुल्क लगाया गया है। यह हमारे स्थानीय उद्योगों द्वारा नुकसान के आधार पर गणना की जाती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमा शुल्क का प्रभाव

सरकारी राजस्व पर प्रभाव

India Export-Import साल 2022-23के ताजे आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है. जबकि दूसरे सबसे बड़े भागीदार के रूप में चीन अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है. लेकिन भारत के साथ कुल कारोबार में कमी दर्ज की गई है. हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23में अभी भी निर्यात के कुल आंकड़े आयात से कम हैं.

भारत ने पूरी दुनिया से 770.18 अरब डॉलर का निर्यात किया है और 892.18 अरब डॉलर का आयात किया है. जबकि साल 2021-22में निर्यात-आयात के आंकड़े क्रमश: 676.53 और 760.06 अरब डॉलर रहे. बीते 3 वर्ष का भारत-अमेरिका का द्विपक्षीय कारोबार

1. साल 2022-23में 128.55 अरब डॉलर हुआ।
2. साल 2021-22में 119.5 अरब डॉलर रहा।
3. साल 2020-21में 80-51अरब डॉलर का कारोबार हुआ।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के साल 2022-23के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अमेरिका को कुल 78-31अरब डॉलर का निर्यात किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 2-81प्रतिशत ज्यादा है. वित्ता वर्ष 2021-22में अमेरिका को 76-18 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था।

चीन के साथ भारत के व्यापारिक आंकड़े – साल 2022-23में चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार 1-5प्रतिशत घटकर 113-83अरब डॉलर रहा है. 2021-22में भारत और चीन के बीच 115-42अरब डॉलर का कारोबार हुआ था. वर्ष 2022-23में भारत से चीन को निर्यात 28 प्रतिशत बढ़कर 15-32अरब डॉलर तक पहुंच गया. आयात में भी 4-16प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है. यह 98-51 अरब डॉलर है. चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 83-12अरब डॉलर हो गया है, जो वर्ष 2021-22 वर्ष 72-91 अरब डॉलर था।

भारत के सबसे बड़े 10 व्यापारिक भागीदार देशसंयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड अरब अमीरात,सऊदीअरब,रूस,जर्मनी हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया भारत से निर्यात वाले सबसे 10बड़े देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, चीन, हांगकांग, सिंगापुर यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, बांग्लादेश, नेपालवह 10 देश, जहां से भारत करताआयात है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर।

व्यापार प्रदर्शन – भारत ने विदेश व्यापार में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएं) 2024-25में 825-25बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो 6-05%की मजबूत सालाना बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है। यह तेज चाल नए वित्ता वर्ष में भी जारी रही, जिसमें अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान निर्यात बढ़कर 418-91बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 5-86%की बढ़ोतरी है, यह भारत के निरंतर बढ़ते निर्यात

पथ को और सुदृढ़ करता है। विशेष तौर पर, वित्त वर्ष 2025-26की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025) में भारत का व्यापार प्रदर्शन अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड है। इसके साथ ही, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) और दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) दोनों ने अपनी-अपनी तिमाहियों में अब तक का उच्चतम स्तर दर्ज किया है। भारत के सेवा क्षेत्र ने देश के कुल निर्यात को सहयोग देना जारी रखा और 2024-25 में 387-54बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 13-63%की मजबूत बढ़ोतरी को दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष में भी यह सकारात्मक रुझान बरकरार रहा, अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान सेवा निर्यात बढ़कर 199-03बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो बीते वर्ष की इस अवधि के मुकाबले 9-34% अधिक है।

भारत का माल निर्यात 2024-25में 437-70बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा, जबकि गैर-पेट्रोलियम निर्यात ऐतिहासिक 374-32बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 6-07%की बढ़ोतरी दिखाता है। मौजूदा वित्त वर्ष में भी यह रुझान सकारात्मक तौर पर जारी रहा, अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान माल निर्यात बढ़कर 219-88बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 2-90%अधिक है। अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान निर्यात के प्रमुख कारकों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (41-94%), इंजीनियरिंग वस्तुएं (5-35%), दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स (6-46%), समुद्री उत्पाद (17-40%) और चावल (10-02%) शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर भारत के मजबूत हो रहे निर्यात को गति दी। भारत के निर्यात प्रदर्शन को अमेरिका (13-34%), संयुक्त अरब अमीरात (9-34%), चीन (21-85%), स्पेन (40-30%) और हॉन्ग कॉन्ग (23-53%) जैसे निर्यात स्थलों से भरपूर सहयोग मिला।

कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य – भारत दुनिया के 192 देशों को करीब 7500आइटम का निर्यात करता है और करीब 140 देशों से लगभग छह हजार आइटम का आयात करता है।

घरेलू उद्योगों पर प्रभाव – सीमा शुल्क भारत में घरेलू उद्योगों की संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और विकास को गहराई से प्रभावित करता है। विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत में सीमा शुल्क नीति का प्रमुख उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना रहा है।

1. **विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण –** उच्च सीमा शुल्क आयातित वस्तुओं को महँगा बना देता है, जिससे विदेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कम होती है। इससे घरेलू उद्योगों को अपने उत्पादों को बाज़ार में स्थापित करने का अवसर मिलता है, विशेषकर नवोदित एवं लघु उद्योगों को।

2. **उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन –** सीमा शुल्क से प्राप्त संरक्षण के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और गुणवत्ता सुधार पर धयान दे पाते हैं। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलती है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

3. **रोजगार सृजन में वृद्धि –** जब घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलती है, तो उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। यह देश की बेरोज़गारी समस्या को कम करने में सहायक होता है।

4. **लघु एवं मधयम उद्योगों (MSME) पर प्रभाव –** सीमा शुल्क नीति का विशेष लाभ लघु एवं मध्यम उद्योगों को मिलता है, क्योंकि ये उद्योग प्राय: बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं। संरक्षणात्मक शुल्क उन्हें बाज़ार में टिके रहने में सहायता प्रदान करता है।

5. **नवाचार एवं तकनीकी उन्नयन –** सीमा शुल्क से प्राप्त सुरक्षा घरेलू उद्योगों को अनुसंधन एवं विकास (R&D) में निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता एवं तकनीकी दक्षता में सुधार होता है।

घरेलू उद्योगों पर सीमा शुल्क का प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। संतुलित सीमा शुल्क नीति घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाकर औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है, जबकि असंतुलित नीति दीर्घकाल में उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कमजोर कर सकती है। अत: घरेलू उद्योगों के सतत विकास हेतु व्यावहारिक एवं संतुलित सीमा शुल्क नीति आवश्यक है।

घरेलू विकास को बढ़ावा देते हुए वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिये रणनीतिक राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ आवश्यक हैं।व प्रशासनिक सुधारों, कर सरलीकरण, श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाने तथा व्यावसायिक कानूनों को अपराधमुक्त करने के माध्यम से विनियमन में ढील से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा ज़मीनी स्तर पर सुधार से भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं निवेश वातावरण में अनुकूलता आएगी। व धारणीय कृषि उत्पादन एवं बाह्य क्षेत्र में स्थिरता के माध्यम से मुद्रास्फीति का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2025-26की पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन से सतत् आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

उपभोक्ताओं पर सीमा शुल्क का प्रभाव – सीमा शुल्क का प्रभाव केवल सरकार और उद्योगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। आयातित वस्तुओं पर लगाए गए सीमा शुल्क से वस्तुओं की कीमत, उपलब्धता और गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति और जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ता है।

आयात-निर्यात एवं व्यापार संतुलन पर प्रभाव – व्यापार संतुलन किसी राष्ट्र के निर्यात और आयात के मौद्रिक मूल्य का एक निश्चित समयावधि में अंतर होता है । (1) कभी -कभी, सेवाओं का व्यापार भी व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है, लेकिन आईएमएफ की आधिकारिक परिभाषा में केवल वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। (2) व्यापार संतुलन एक निश्चित समयावधि में निर्यात और आयात के प्रवाह चर को मापता है । व्यापार संतुलन की अवधारणा का यह अर्थ नहीं है कि निर्यात और आयात एक दूसरे के साथ :संतुलित: हैं।

यदि कोई देश आयात से अधिक मूल्य का निर्यात करता है, तो उसका व्यापार अधिशेष या सकारात्मक व्यापार संतुलन होता है और इसके विपरीत, यदि कोई देश निर्यात से अधिक मूल्य का आयात करता है, तो उसका व्यापार घाटा या नकारात्मक व्यापार संतुलन होता है। 2016 तक, 200 देशों में से लगभग 60 देशों का व्यापार अधिशेष था । विश्व के सबसे बड़े व्यापार अधिशेष चीन (823 बिलियन डॉलर), जर्मनी (226 बिलियन डॉलर) और सिंगापुर (154बिलियन डॉलर) के पास हैं, जबकि सबसे बड़े व्यापार घाटे संयुक्त राज्य अमेरिका (1-15ट्रिलियन डॉलर), यूनाइटेड किंगडम (271 बिलियन डॉलर) और भारत (241 बिलियन डॉलर) के पास हैं।

अर्थशास्त्री (कौन से?) इस विचार को खारिज करते हैं कि व्यापार घाटा किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, और इस विचार को भी कि द्विपक्षीय व्यापार घाटा स्वाभाविक रूप से बुरा है।

व्यापार का संतुलन – 'व्यापार' शब्द का अर्थ वस्तुओं की खरीद–बिक्री है। हालाँकि, जब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, तो इसे आयात–निर्यात कहा जाता है। व्यापार संतुलन (BOT) किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक विशिष्ट वर्ष के दौरान किए गए आयात और निर्यात को दर्शाता है। BOT केवल मूर्त वस्तुओं का ही रिकॉर्ड रखता है।व्यापार संतुलन या व्यापार संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन भी कहा जाता है ।व्यापार संतुलन (बीओटी) किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश के आयात और निर्यात के मूल्य के बीच का अंतर है और यह देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) का सबसे बड़ा घटक है।भुगतान संतुलन खातों का एक समूह है जो किसी देश द्वारा एक निश्चित अवधि में अन्य देशों के साथ किए गए वाणिज्यिक लेन–देन को दर्शाता है। ये खाते उस अवधि के दौरान प्रत्येक मौद्रिक लेन–देन, यानी वस्तुओं, सेवाओं और आय को दर्शाते हैं।भुगतान संतुलन (BOP) किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में होने वाले धन के अंतर्वाह और बहिर्वाह का पता लगाने के लिए प्रत्येक निजी और सार्वजनिक निवेश को जोड़ता है। BOP की आदर्श स्थिति शून्य होनी चाहिए, जो यह दर्शाती है कि देश में आने वाला धन देश से बाहर जाने वाले धन के बराबर है। हालाँकि, यह स्थिति अत्यंत असंभव है। इसलिए, यदि यह ऋणात्मक है, तो यह घाटे को दर्शाता है और यदि धनात्मक है, तो इसका अर्थ अधिशेष है।

भारत का व्यापार अधिशेष – उद्योग चैंबर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक अध्ययन से पता चला है कि 2020 में भारत का इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के 20 देशों में से नौ के साथ व्यापार अधिशेष था, जिसमें अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तटों से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक के देश शामिल हैं।पिछले 19 वर्षों में चुनिंदा हिंद–प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का व्यापार आठ गुना बढ़ गया है , जो 2001 में 33 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 262 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 2020 में 29% की प्रमुख हिस्सेदारी के साथ अमेरिका सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा।

हिंद –प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चिली, कोलंबिया, फ्रांस, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, दक्षिण कोरिया, मालदीव, मॉरीशस, मलेशिया, मैक्सिको, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं।यह विश्व के सतही क्षेत्रफल का 44% है तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 62%है , तथा 50% से अधिक वैश्विक व्यापार इसके जल से होकर गुजरता है।अध्ययन के अनुसार, 2016 से 2020तक भारत का आठ देशों – केन्या, मॉरीशस, फ्रांस, फिजी, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष था ।

इन अर्थव्यवस्थाओं से भारत का आयात 2020 में उसके वैश्विक आयात का 36% था ।

देश	मूल्य(बिलियन अमेरिकी डॉलर)	कुल निर्यात में भारत का हिस्सा
संयुक्त राज्य अमेरिका	57.7	16.94%
संयुक्त अरब अमीरात	28.8	9.20%
चीन	16.6	5.47%
हांगकांग	10.9	3.53%
सिंगापुर	8.9	2.90%
यूनाइटेड किंगडम	8.7	2.80%
नीदरलैंड	8.3	2.69%
जर्मनी	8.29	2.65%
बांग्लादेश	8.20	2.61%
नेपाल	7.16	2.28%

2019–2020में निर्यात के लिए भारत के 10 सबसे बड़े गंतव्य।

सीमा शुल्क की गणना कैसे करें – सीमा शुल्क की गणना आमतौर पर मूल्यानुसार की जाती है, अर्थात माल के मूल्य के आधार पर। माल के मूल्य की गणना सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 3के नियम 2007(i) के तहत बताए गए नियमों के अनुसार की जाती है आप सीबीईसी वेबसाइट पर उपलब्ध कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। 2009 में कम्प्यूटरीकृत और इलेक्ट्रॉनिक सेवा अभियान के हिस्से के रूप में, भारत ने एक वेब–आधारित प्रणाली शुरू की जिसे के रूप में जाना जाता है आइसगेट (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे)यह शुल्क दरों की गणना, आयात–निर्यात माल की घोषणा, शिपिंग बिल, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और आयात और निर्यात लाइसेंसों का सत्यापन करता है। सीमा शुल्क का भारतीय वर्गीकरण 6–अंकीय सामंजस्यपूर्ण वस्तु विवरण (एचएस) और कोडिंग प्रणाली पर आधारित है। सभी आयातों और निर्यातों पर लागू आईजीएसटी, प्राथमिक सीमा शुल्क के साथ माल के मूल्य पर लगाया जाता है।

संरचना इस प्रकार है:

आयातित माल का मूल्य + मूल सीमा शुल्क + समाज कल्याण अधिभार = मूल्य जिसके आधार पर IGST की गणना की जाती है

यदि सामान्य मूल्यांकन कारकों के संबंध में कोई भ्रम है, निम्नलिखित कारकों को अपवाद के रूप में माना जाता है:

नियम4 के अनुसार समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य की गणना करने के लिए तुलनात्मक मूल्य विधि।

नियम5 के अनुसार समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य की गणना करने के लिए तुलनात्मक मूल्य विधि।

नियम7के अनुसार आयातक देश में किसी वस्तु के बिक्री मूल्य की गणना करने के लिए निगमनात्मक मूल्य विधि।

नियम8के अनुसार निर्माण सामग्री और लाभ के अनुसार गणना मूल्य विधि का उपयोग किया जाता है।

फॉलबैक विधि का उपयोग नियम 9 के अनुसार उच्च लचीलेपन वाले माल की गणना के लिए किया जाता है।

RSI केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन देश में सीमा शुल्क प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। अगर सही तरीके से संचालित किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आप जो भी बेचने की योजना बना रहे हैं, आपको एक उपयुक्त लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनना चाहिए जो आपको परेशानी मुक्त शिपिंग में मदद कर सके। शिप्रॉकेटएक्स, आप अपने उत्पादों को समय पर वितरित कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को दुनिया भर में 220से अधिक गंतव्यों तक बढ़ा सकते हैं।

सीमा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें – सीमा शुल्क का भुगतान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन किया जा सकता है:

सीमा शुल्क का भुगतान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन

किया जा सकता है:

1. ICEGATE ई-भुगतान पोर्टल पर पहुँचें।
2. दर्ज करें आयात/निर्यात कोड या ICEGATE द्वारा प्रदान किया गया लॉगिन क्रेडेंशियल।
3. ई-भुगतान पर क्लिक करें।
4. अब आप अपने नाम के सभी बकाया चालान देख सकते हैं।
5. वह चालान चुनें जिसका भुगतान आप करना चाहते हैं और बैंक या भुगतान विधि चुनें।
6. आपको विशेष बैंक के भुगतान गेटवे पर पुन: निर्देशित किया जाएगा।
7. भुगतान करें।
8. आपको ICEGATE पोर्टल पर पुन: निर्देशित किया जाएगा। भुगतान प्रति सहेजने के लिए प्रिंट पर क्लिक करें।

सीमा शुल्क नीति की चुनौतियाँ

1. सीमा शुल्क राजस्व में गिरावट- भारत की सीमा शुल्क नीति का उद्देश्य राजस्व संग्रह, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा तथा विदेशी व्यापार का संतुलन बनाए रखना है। परंतु व्यवहार में इसके सामने अनेक आर्थिक, प्रशासनिक और संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें आँकड़ों के माध्यम से समझा जा सकता है।

वर्ष	सीमा शुल्क राजस्व (रू करोड़)	GDP में प्रतिशत
2014-15	2-29लाख	1-7%
2019-20	2-14लाख	1-1%
2023-24	~2-6लाख	1-0%

चुनौती: व्यापार उदारीकरण के कारण सरकार के लिए सीमा शुल्क को प्रमुख राजस्व स्रोत बनाए रखना कठिन हो रहा है।मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से राजस्व हानि

FTA क्षेत्र	अनुमानित वार्षिक राजस्व हानि
ASEAN	रू35000-40000करोड़
जापान	रू12000करोड़
दक्षिण कोरिया	रू10000करोड़

चुनौती: शुल्क दरों में कटौती से आयात बढ़ता है, परंतु राजस्व घटता है।
3-व्यापार घाटा बढ़ना

वर्ष	आयात (US$ बिलियन)	निर्यात (US$ बिलियन)	व्यापार घाटा
2018-19	514	331	-183
2022-23	714	453	-261
2023-24	677	437	-240

चुनौती: कम शुल्क या छूट के कारण आयात अधिक और निर्यात अपेक्षाकृत कम।

तस्करी और अवैध व्यापार- उच्च सीमा शुल्क दरें तस्करी को बढ़ावा देती हैं।

वस्त	अनुमानित तस्करी
सोना	100-120टन प्रति वर्ष
सिगरेट/इलेक्ट्रॉनिक्स	निरंतर वृद्धि

चुनौती: उच्च शुल्क से राजस्व बढ़ने के बजाय अवैध व्यापार बढ़ जाता है।

राजस्व पर दबाव - भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं, जिससे आयात पर लगाए जाने वाले पारंपरिक सीमा शुल्क में कटौती की गई और इससे सरकार को राजस्व नुकसान उठाना पड़ा है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2025 में विभिन्न FTAs के कारण भारत को अनुमानत: रू94172करोड़ तक सीमा शुल्क राजस्व का नुकसान हुआ था। इनमें ASEAN के साथ FTA से रू37875करोड़, जापान से रू 12038करोड़, और दक्षिण कोरिया से रू10335करोड़ का नुकसान शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि मुक्त व्यापार समझौते राजस्व जुटाने हेतु पारंपरिक सीमा शुल्क नीति पर दबाव डालते हैं, जो आर्थिक संतुलन बनाये रखने में चुनौती बनता है।

निष्कर्ष - भारत में सीमा शुल्क आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर कर लगाकर देश के व्यापार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए सीमा शुल्क को समझना महत्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क में मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सुरक्षात्मक शुल्क और डंपिंग रोधी शुल्क शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा की जाए और विदेशी वस्तुओं पर उचित कर लगाया जाए। शुल्क की गणना विभिन्न कारकों के आधार पर की जाती है, जिसमें वस्तुओं का मूल्य, उनका वर्गीकरण और लागू शुल्क दरें शामिल हैं। आप उपर्युक्त सूत्र को लागू करके इसकी गणना कर सकते हैं। सुचारू निकासी और परेशानी मुक्त व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए भुगतान प्रक्रियाओं और अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में जानकारी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के लिए सुदृढ़ आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। मुद्रास्फीति नियंत्रण, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने पर रणनीतिक ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, हरित वित्तपोषण और अनुकूल नीतियों के माध्यम से जलवायु जोखिमों का समाधान करना दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा, जिससे भारत को विकास और प्रगति को आगे बढ़ाते हुए चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। घरेलू उद्योगों पर सीमा शुल्क का प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। संतुलित सीमा शुल्क नीति घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाकर औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है, जबकि असंतुलित नीति दीर्घकाल में उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कमजोर कर सकती है। अत: घरेलू उद्योगों के सतत विकास हेतु व्यावहारिक एवं संतुलित सीमा शुल्क नीति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क,सतीश प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, प्रो.श्रीपाल सकलेचा सी.ए.अनीत सकलेचा
2. वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क, एसबीपीडी पब्लिकेशन, सी.ए. निखिल सी.ए गुप्ता अनूप मोदी सी.ए महेश गुप्ता
3. माल एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा प्रो. वी.पी अग्रवाल
4. अप्रत्यक्ष कर, यशराज डॉ. कमलेश भंडारी
5. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24वाणिज्य विभाग
6. भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक सर्वेक्षण 2024 25 का सार
7. आरबीआई रिपोर्ट 2024-25
8. https://www.shiprocket.in